श्री दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास द्वारा संचालित
प्रतिभा जागृति जैन गर्ल्स हॉस्टल
तिलक रोड, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०

छात्रावास के नियम एवं प्रावधान : सत्र २०२६-२७

इस छात्रावास का संचालन व्यावसायिक उद्देश्य से न होकर प्रातः स्मरणीय, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री १०८ विद्यासागरजी महामुनिराज की प्रेरणा से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पुणे में अध्ययनरत जैन छात्राओं को जैनत्व के संस्कारों के साथ सुरक्षित, अनुशासित एवं आदर्श आवासीय वातावरण प्रदान करना है। अतः सभी छात्राओं से अपेक्षा है कि वे निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुए आचार्य श्री जी के आदर्शों के क्रियान्वयन में सहयोग दें तथा सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता करें।

छात्रावास में निवासरत सभी छात्राओं के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

छात्रावास में नियम :

1) छात्रावास का संचालन एवं प्रबंधन वार्डन (प्रबंधक) तथा सहायक वार्डन (सह-प्रबंधक) द्वारा किया जाता है।
2) **छात्रावास के नियमों/निर्देशों का उल्लघंन करने, किसी अन्य छात्रा को ऐसा करने हेतु प्रोत्साहित या सहायता करने, वार्डन के साथ अनुचित बहस करने अथवा छात्रावास में दुर्व्यवहार करने पर संबंधित छात्रा को क्रमशः तीन प्रकार की चेतावनी दी जाएगी (१) येलो चेतावनी (वार्डनद्वारा) (२) ऑरेंज चेतावनी (कार्यकारिणी कमिटी द्वारा) (३) रेड चेतावनी (मुख्य कमिटी द्वारा) रेड चेतावनी प्राप्त होने के पश्चात संबंधित छात्रा को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा तथा उसके द्वारा जमा की गई शुल्क राशि वापस नहीं की जाएगी।**
3) छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे छात्रावास में कोई भी कीमती वस्तु अपने पास न रखें। किसी भी वस्तु के खोने, चोरी होने अथवा नुकसान होने की स्थिति में न्यास की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
4) छात्रावास में हेयर ड्रायर, हीटिंग पैड एवं चिकित्सकीय आवश्यकता के उपकरणों के अतिरिक्त किसी भी अन्य हीटिंग उपकरण के उपयोग की अनुमति नहीं है। यदि कोई छात्रा बिना अनुमति वाले विद्युत उपकरण का उपयोग करते हुए पाई जाती है, तो संबंधित उपकरण तत्काल जप्त कर लिया जाएगा तथा उपयोगकर्ता एवं संबंधित उपकरण रखने वाली छात्रा, दोनों से रुपये १०००/- (एक हजार रुपये मात्र) का जुर्माना अलग-अलग वसूला जाएगा।
5) **साल में दो बार (१) दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र दर्शन यात्रा एवं (२) दिगंबर गुरु दर्शन यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों यात्राओं में से छात्राओं के लिए कम से कम एक यात्रा में सहभाग लेना अनिवार्य रहेगा। दोनों यात्राओं में सहभाग न लेने वाली छात्रा से रुपये १०००/- (एक हजार रुपये मात्र) का दंड वसूला जाएगा।**
6) बिना पूर्व अनुमति के बाहर से म्यूजिक प्लेयर जैसी मूल्यवान वस्तुएँ तथा किसी भी प्रकार का फर्नीचर, बड़ा सामान अथवा अन्य उपकरण छात्रावास में लाना निषिद्ध है।
7) छात्रावास के कमरों में किसी भी प्रकार का भोजन अथवा नाश्ता बनाने की अनुमति नहीं है।
8) छात्रावास स्टाफ की सेवाओं का उपयोग निजी अथवा व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। छात्रावास के कर्मचारियों को नगद अथवा वस्तु के रूप में किसी भी प्रकार की राशि या सामान देना निषिद्ध है।
9) **छात्रावास में छात्राओं के लिए रात्रि १०:०० बजे से प्रातः ६:०० बजे (सूर्योदय होने तक) प्रवेश एवं निकास पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी आपातकालीन परिस्थिति में बाहर जाने हेतु छात्रा को निर्धारित प्रारूप (फॉर्म) में आवश्यक जानकारी भरकर वार्डन की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।**
10) कमरे एवं आलमारी की चाबियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित छात्रा की रहेगी। चाबी खो जाने पर रु ५००/- (पांच सौ रुपये मात्र) का दंड देना होगा तथा नई चाबी बनवाने का पूरा खर्च भी छात्रा को ही देना होगा।
11) छात्रावास में कपड़े धोने की व्यवस्था उपलब्ध है, किन्तु उसके उपयोग एवं रख-रखाव संबंधी नियम समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे तथा वे सभी छात्राओं के लिए बाध्यकारी होंगे। धुले हुए कपड़े निर्धारित समय तक नहीं उठाए जाने की स्थिति में उन्हें बाहर जरूरतमंद बच्चों को दान कर दिया जाएगा।
12) छात्रावास की बैठकों, गतिविधियों एवं अन्य कार्यक्रमों में प्रत्येक छात्रा की उपस्थिती अनिवार्य रहेगी।
13) छात्राओं की किसी भी समस्या अथवा विषय से संबंधित समस्त संवाद (कम्युनिकेशन) वार्डन के माध्यम से ही किया जाएगा।
14) छात्राओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रावास की सुविधाओं का किसी अन्य छात्रा / गैर छात्राओं द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाए।

15) किसी भी परिस्थिति में किसी छात्रा के माता-पिता, स्थानीय अभिभावक अथवा किसी अन्य व्यक्ति/महिला को छात्रावास में ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उनके सामान रखने की भी अनुमति नहीं रहेगी।

16) सम्पूर्ण छात्रावास परिसर में शराब (मदिरा), मांस, अंडे एवं अन्य मादक/अभक्ष्य पदार्थों जैसे गुटखा, तंबाखू आदि का सेवन तथा धूम्रपान करना पूर्णतः निषिद्ध है। इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित छात्रा को तत्काल छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा तथा उसके द्वारा जमा की गई शुल्क राशि वापस नहीं की जाएगी।

17) छात्रावास में किसी भी प्रकार की रैगिंग, शारीरिक अथवा मौखिक दुर्व्यवहार/हमले करना पूर्णतः निषिद्ध है। ऐसा पाए जाने पर संबंधित छात्रा को तत्काल छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।

अनुशासन :

1) छात्रावास में तेज संगीत बजाने की अनुमति नहीं है। छात्राओं को छात्रावास में पूर्ण शांति बनाए रखना अनिवार्य रहेगा तथा किसी भी अन्य छात्रा को असुविधा या परेशानी नहीं होनी चाहिए। कमरे में अत्यधिक शोर करना, अन्य छात्राओं को कमरे में बुलाकर अनावश्यक बातचीत/गॉसिप करना आदि संबंधी लगातार तीन शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित छात्रा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

2) प्रवेश के समय आवंटित किया गया कमरा अथवा बेड किसी भी परिस्थिति में पूरे सत्र के दौरान बदल कर नहीं दिया जाएगा।

3) छात्राओं को अनावश्यक रूप से अन्य छात्राओं के कमरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं रहेगी तथा सभी छात्राओं की गोपनीयता का सम्मान बनाए रखना अनिवार्य रहेगा।

4) कमरे एवं बिस्तर की साफ़-सफ़ाई बनाए रखना प्रत्येक छात्रा का व्यक्तिगत कर्तव्य है। सभी छात्राओं के लिए प्रातः ९:०० बजे तक बिस्तर व्यवस्थित रखना अनिवार्य रहेगा। कमरों की नियमित जांच की जाएगी तथा लगातार लापरवाही पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5) छात्राओं के लिए शौचालयों की स्वच्छता बनाए रखना अनिवार्य रहेगा। सैनिटरी पैड, साबुन/शैम्पू के कवर, बाल, हेयर पिन आदि का निपटान केवल कूड़ेदान में ही किया जाए।

6) प्रत्येक छात्रा को प्रतिदिन रात्रि ०९:५० बजे से पूर्व वार्डन के पास जाकर अपनी उपस्थिति (प्रेज़ेंटी) दर्ज करना अनिवार्य रहेगा।

7) प्रबंधन (वार्डन) को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कमरे में प्रवेश करने, निरिक्षण करने एवं योग्य निर्देश देने का अधिकार है।

8) संस्कारों के महत्व एवं धार्मिक वातावरण के निर्माण हेतु प्रत्येक छात्रा के लिए प्रतिदिन रात्रिकालीन आरती एवं पाठ में उपस्थित रहना अनिवार्य रहेगा। इसी क्रम में प्रत्येक रविवार प्रातः ०८:१० बजे जिनेंद्र प्रभु एवं आचार्यश्री जी की सामूहिक पूजन में उपस्थित रहना भी प्रत्येक छात्रा के लिए अनिवार्य रहेगा। उक्त धार्मिक गतिविधियों में प्रत्येक छात्रा की उपस्थिति न्यूनतम ८० प्रतिशत होना आवश्यक रहेगा।

9) छात्रावास में किसी भी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करने हेतु वार्डन की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा।

10) यदि कोई छात्रा परिसर में अन्य छात्राओं का सामान चोरी करती हुई अथवा छात्रावास की संपत्ति को नुकसान पहुँचाती हुई पाई जाती है, जैसे पोस्टर चिपकाना, कीलें लगाना, पानी एवं बिजली की बर्बादी करना आदि, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रबंधकों (न्यास) का उत्तरदायित्व :

1) छात्रावास के परिसर के बाहर निवासरत छात्राओं की सुरक्षा, आचरण एवं किसी भी प्रकार की घटना के लिए न्यास (प्रबंधन समिति) उत्तरदायी नहीं होगा।

2) आवश्यकता अनुसार, बिना पूर्व सूचना के आवास एवं भोजन शुल्क में परिवर्तन तथा अन्य सुविधाओं से संबंधित नियमों में संशोधन/परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार न्यास को सुरक्षित रहेगा।

3) ऐसे सभी परिवर्तन/सुधार की सूचना छात्रावास के व्हाट्सएप समूह पर भी साझा की जाएगी। तदनुसार यह माना जाएगा कि सभी छात्राओं ने उक्त सूचना को पढ़ लिया है तथा वे उससे सहमत हैं।

4) न्यास छात्राओं की शैक्षणिक प्रगति, परीक्षा परिणाम अथवा कॉलेज के प्रदर्शन के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं रहेगा।

5) न्यास किसी भी छात्रा के व्यक्तिगत कृत्य, दुर्घटना, चोट अथवा किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।

6) किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता के संबंध में न्यास द्वारा आंतरिक जाँच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित छात्रा को छात्रावास से निष्कासित करने का पूर्ण अधिकार न्यास के पास रहेगा।

7) छात्रावास संचालन से संबंधित सभी विषयों पर न्यास द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

भोजन व्यवस्था समय :

- **स्वल्पाहार : प्रातः ०७:०० से प्रातः ०९:०० बजे तक**
- **सुबह का भोजन : प्रातः ११:०० से दोपहर ०२:०० बजे तक**
- **शाम का भोजन : सायं ०६:०० से रात्रि ०८:०० बजे तक**

1) **भोजनशाला प्रत्येक रविवार की शाम को बंद रहेगी।**
2) भोजनशाला में केवल शुद्ध एवं सात्विक शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा तथा जमीकंद का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
3) भोजन शाला में निर्धारित समय पर ही भोजन दिया जाएगा। अतः अपेक्षा की जाती है कि सभी छात्राएँ समय का पूर्णतः पालन करेंगी।
4) **छात्रावास में भोजन केवल भोजन कक्ष (डाइनिंग हॉल) में ही करना अनिवार्य है।**
5) सूखा मेवा (Dry Fruits), फल, मिठाई आदि का सेवन कमरों में किया जा सकता है, किंतु इसकी स्वच्छता बनाए रखने की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित छात्रा की होगी। कमरे में अन्य छात्रा द्वारा शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
6) भोजन कक्ष से भोजन छात्रावास के कमरों में ले जाना सख्त वर्जित है। तथापि, विशेष परिस्थितियों में वार्डन की अनुमति से बीमार छात्रा को कमरे में भोजन दिया जा सकता है।
7) **छात्रावास में बाहरी स्रोतों से किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ ऑनलाइन (जैसे स्विगी, जोमैटो आदि) अथवा अन्य किसी माध्यम से मंगवाना पूर्णतः सख्त वर्जित है। इसका उल्लंघन पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।**

व्यक्तिगत नियम :

1) छात्राओं के VIP पिरियड के दौरान चार दिनों तक भोजन एवं पीने के पानी को स्वयं स्पर्श नहीं करना है। ऐसी स्थिति में अन्य छात्राओं, किचन कर्मचारियों अथवा वार्डन दीदी से अपने भोजन की थाली लगवाए और पीने की पानी की बोतल भरवाए।
2) कपड़े प्रेस (Iron) करने के लिए प्रत्येक मंजिल पर सार्वजनिक रूप से व्यवस्था की गई है। कमरे में प्रेस (Iron) करना सख्त मना है, ऐसा करने पर रुपये १०००/- (एक हजार रुपये मात्र) का दंड वसूला जाएगा।
3) **नाईट आउट/लंबी छुट्टी के लिए वार्डन को लिखित आवेदन देना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, छात्रा के घर से माता या पिता के जो मोबाइल नंबर छात्रावास में पंजीकृत हैं, उन्हीं नंबरों से वार्डन के मोबाइल पर फोन तथा व्हाट्सऐप संदेश आना आवश्यक होगा।**
4) नाईट आउट/लंबी छुट्टी की प्रक्रिया कम से कम तीन घंटे पूर्व करना अनिवार्य होगा।वार्डन दीदी से फोन एवं संदेश कराने का समय प्रातः ०९:०० बजे से रात्रि ०९:०० बजे तक ही मान्य रहेगा।
5) **पालकों की यह जिम्मेदारी होगी कि जब उनकी पुत्री नाईट आउट/लंबी छुट्टी पूर्ण होने के बाद घर से वापस छात्रावास के लिए निकलती है, तो वे अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से वार्डन के मोबाइल पर कॉल और व्हाट्सऐप संदेश दोनों करें।**
6) छात्रा के पालक/रिश्तेदार प्रातः ०९:०० बजे से रात्रि ०८:०० बजे तक छात्रावास के स्वागत कक्ष में छात्रा से मिल सकते हैं।
7) कोई भी छात्रा बिना अनुमति के किसी भी अतिथि को छात्रावास में आमंत्रित नहीं करेगी अथवा उसे रुकने की अनुमति नहीं देगी।
8) माता-पिता अथवा कोई भी व्यक्ति केवल स्वागत कक्ष तक ही आकर छात्रा से मिल सकते हैं, उसके आगे छात्रावास में प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।
9) **छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पहनावे में शालीनता एवं मर्यादा का ध्यान रखें। अतिवादी एवं अशोभनीय परिधानों से बचना चाहिए। स्पेगेटी पट्टियाँ, छोटी स्कर्ट, टैंक टॉप आदि जैसे दिखावटी वस्त्र पहनकर अथवा उन्हें स्कार्फ से ढककर छात्रावास से बाहर जाने की अनुमति नहीं है।**
10) किसी भी बीमारी की स्थिति में तुरंत वार्डन को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा आवश्यक जांच कराई जाएगी। यदि अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता हो, तो छात्रा को अपने स्थानीय अभिभावकों से संपर्क कर उचित व्यवस्था स्वयं करनी होगी। न्यास उपचार एवं परिवहन व्यय के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
11) **अपने स्वयं के वाहन उपयोग करने वाली छात्राओं के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा पॉलिसी एवं वाहन पंजीकरण (RCTC) के दस्तावेज होना आवश्यक है तथा छात्रावास में प्रवेश के समय इन सभी दस्तावेजों की एक प्रति छात्रावास कार्यालय में जमा करनी होगी। छात्राओं को अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में उचित रूप से अपनी जोखिम पर पार्क करना होगा। इन वाहनों की सुरक्षा के लिए न्यास जिम्मेदार नहीं रहेगा। छात्रावास की पार्किंग में बाहरी किसी भी वाहन का प्रवेश या पार्क करना सख्त वर्जित है।**
12) छात्राओं को अपने वाहन का उपयोग किसी अन्य छात्रा को देना सख्त वर्जित है। यदि कोई छात्रा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाती है अथवा किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है, तो इस संबंध में न्यास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13) प्रत्येक छात्रा से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वेच्छा से एवं पूर्ण मनोयोग से छात्रावास की गतिविधियों के संचालन एवं रखरखाव में भाग ले।

शुल्क (फ़ीस) की वापसी :-

1) एक बार भुगतान की गई शुल्क (फीस) किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी।

2) जो छात्राएँ महाविद्यालय में प्रवेश सुरक्षित नहीं कर पाती हैं, उन्हें ३१ अगस्त २०२६ तक सूचना देने पर दो माह की फीस काटकर शेष नौ माह की फीस वापस की जाएगी। इसके पश्चात किसी भी स्थिति में फीस वापस नहीं की जाएगी।

नियमों में संशोधनः

आवश्यकता पड़ने पर नियमों में संशोधन का पूर्ण अधिकार श्री दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास, पुणे को रहेगा तथा ऐसे संशोधनों की सूचना समय-समय पर सभी छात्राओं को दी जाएगी।

छात्रा एवं माता/पिता का घोषणा पत्र

मैंने निम्नलिखित समस्त नियमों एवं उपनियमों को सावधानीपूर्वक पढ़कर समझ लिया है। मैं उपरोक्त समस्त नियमों एवं उपनियमों का पूर्णतः पालन करने का वचन देती हूँ। मैं यह जानती हूँ कि उपरोक्त में से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर मेरे निलंबन अथवा निष्कासन की अनुशासनात्मक कार्यवाही छात्रावास/न्यास समिति द्वारा की जाएगी।

छात्र का नाम : --------------------------------

छात्रा के हस्ताक्षर : ----------------------------

मैंने तथा मेरी पुत्री ने निम्नलिखित समस्त नियमों एवं उपनियमों को सावधानीपूर्वक पढ़कर समझ लिया है। मैं यह जानता/जानती हूँ कि उपरोक्त में से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर मेरी पुत्री के निलंबन अथवा निष्कासन की अनुशासनात्मक कार्यवाही छात्रावास/न्यास समिति द्वारा की जाएगी तथा जमा की गई फीस राशि वापस नहीं की जाएगी। साथ ही, मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि वार्डन दीदी से किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा, अनुचित व्यवहार या फोन पर बहस नहीं की जाएगी।

माता/पिता का नाम :-----------------------------

माता/पिता के हस्ताक्षर : -------------------------